[2018] 1 एस.सी.आर. 653

मुबीन शेख

बनाम

महाराष्ट्र राज्य और अन्य

आपराधिक अपील सं. 2018/245

फरवरी 08, 2018

एस.ए. बोबडे और एल. नागेश्वर राव, जेजे।

जमानत-अभियोजन का मामला यह था कि अभियुक्त-अपीलकर्ताओं ने पीड़ित-मृतक को टारगैट किया क्योंकि वह एक निश्चित समुदाय से था और उसके साथ बैट और लाठी से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई-ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी-उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों को रिहा करने का निर्देश दिया। इस आधार पर कि अभियुक्त के पास मृतक के खिलाफ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी और उसे धर्म के नाम पर उकसाया गया था-उच्च न्यायालय ने लगाए गए फैसले में कहा कि मृतक की गलती केवल यह थी कि वह दूसरे धर्म से संबंधित है और इस कारक को अभियुक्त के पक्ष में माना गया था-अभिनिर्धारित किया गया है कि इस तरह की टिप्पणियों को समुदाय के लिए या उसके खिलाफ पूर्वाग्रह के साथ वर्णित किया गया था-आक्षेपित आदेश में निहित निर्देशों को बरकरार नहीं रखा जा सकता है-अक्षेपित आदेश अपास्त किया गया है-मामलों को नए सिरे से सुनने के लिए उच्च न्यायालय-उच्च न्यायालय की फाइल में जमानत आवेदन बहाल किए जाते हैं। उच्चय न्यायालय नये सिरे से ज़मानत की सुनवाई करे।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार; आपराधिक अपील सं. 245/2018

बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा ज़मानत आवेदन संख्या 2160/2016 निर्णय और आदेश दिनांक 12.01.2017 से जमानत आवेदन संख्या तथा आपराधिक अपील संख्या 246,247,248,249/250/2018

हज़ेफ़ा अहमदी, सीनियर सलाहकार., फारुख रशीद, ज़ाहिद हुसैन, अंकित पांडे, शाहरुख आलम, सिद्धार्थ दवे, अबू बकर सब्बाक, निशांत रामकांतराव कटनेश्वरकर, हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, विनय राजपूत, विदित मोंगा, सलाहकार उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

1. अनुमति स्वीकृत की गई।

2. 02.06.2014 को लगभग 9.00 बजे, मृतक शेख मोहसिन एक अन्य दोस्त रियाज के साथ रात के खाने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसने पेस्टल हरे रंग की शर्ट पहनी हुई थी और उसके दाढ़ी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, हमारे सामने आरोपी उत्तरदाताओं ने उन्हें निशाना बनाया क्योंकि वे एक निश्चित समुदाय से थे और शेख मोहसिन पर हॉकी स्टिक, बैट और पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया। इससे उनकी मृत्यु हो गई।

जाहिर है, आरोपियों के बारे में कहा गया था कि वे इस कृत्य को करने के लिए अत्यधिक प्रेरित थे क्योंकि उन्होंने घटना से लगभग आधे घंटे पहले हिंदू राष्ट्र सेना नामक एक निकाय की बैठक में भाग लिया था।

3. आरोपी ने सत्र न्यायालय, पुणे के समक्ष जमानत के लिए आवेदन किया। सत्र न्यायालय, पुणे ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। सत्र न्यायालय ने देखा कि सभी 23 व्यक्तियों (कानून के साथ संघर्ष में दो किशोरों सहित) ने मृतक और अन्य घायल व्यक्ति के साथ मारपीट की है। मृतक के साथ मारपीट की गई क्योंकि वह एक मुस्लिम की तरह दिखता था और मृतक प्रथम दृष्टया शिवाजी महाराज को बदनाम करने से कोई सरोकार नहीं था। सत्र न्यायालय ने पाया कि प्रथम दृष्टया आरोप कहा जाता है कि लगभग 8.30 बजे हुई बैठक में अभियुक्त उपस्थित थे। जिसमें एक निश्चित समुदाय के सदस्यों को मारने की साजिश रची गई थी। सत्र न्यायालय ने जमानत खारिज कर दी। प्रतिवादी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए आवेदन किया। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक गुप्त आदेश में मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से अभियुक्तों की रिहाई का निर्देश दिया है;

"मारपीट की घटना से पहले बैठक आधी (एसआईसी) आयोजित की गई थी, आवेदक/अभियुक्त का अन्यथा कोई अन्य उद्देश्य नहीं था जैसे कि निर्दोष मृतक मोहसिन के खिलाफ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी। मृतक की गलती केवल यह थी कि वह दूसरे धर्म का था। मैं इस कारक को आवेदकों/अभियुक्तों के पक्ष में मानता हूं। इसके अलावा, आवेदकों/अभियुक्तों का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म के नाम पर, उन्हें उकसाया गया था और हत्या

को अंजाम दिया है। यह अभिमत इस संप्रेक्षण किया गया है कि अभियुक्त के पास मृतक के खिलाफ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी।

4. हमने जमानत देने के लिए आक्षेपित आदेशों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है और हम पाते हैं कि जमानत आवेदनों के गुणों पर/या चर्चा का बहुत कम संदर्भ है, लेकिन हम संतुष्ट हैं कि रिहाई का महत्वपूर्ण कारण मुख्य रूप से ऊपर बताया गया है। हम पाते हैं कि पूर्वोक्त कारण, एक निष्पक्ष पढ़ने पर, लगभग एक के रूप में समझा या गलत समझा जा सकता है । हत्या के लिए परिस्थिति या एक प्रकार का औचित्य को कम करना और यह स्पष्ट है कि मृतक एक निश्चित समुदाय से संबंधित था, किसी भी हमले के लिए एक हत्या से कम नहीं हो सकता है। हालांकि एक हमले में शामिल पार्टियों के समुदाय के संदर्भ को समझना संभव हो सकता है, यह समझना मुश्किल है कि यह क्यों कहा गया था कि "मृतक की गलती केवल यह थी कि वह दूसरे धर्म का था" और आगे "मैं इस पर विचार करता हूं। “हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक अदालत देश की बहुवचन संरचना के बारे में पूरी तरह से सचेत है, जबकि विभिन्न समुदायों के अधिकारों से निपटने के लिए कहा जाता है, ऐसी टिप्पणियां नहीं कर सकती हैं जो किसी समुदाय के लिए या उसके खिलाफ पूर्वाग्रह के साथ रंगीन प्रतीत हो सकती हैं। यह संभव है कि विद्वान न्यायाधीश पीड़ित के खिलाफ एक व्यक्तिगत मकसद से इंकार करना चाहता था, लेकिन केवल सांप्रदायिक घृणा पर जोर देता है। यह भी संभव है कि विद्वान एकल न्यायाधीश किसी की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं कर सकता है। विशेष समुदाय या किसी अन्य समुदाय की भावनाओं का समर्थन करते हैं लेकिन शब्द स्पष्ट रूप से ऐसी आलोचना के प्रति संवेदनशील हैं। दिशा कायम नहीं रह सकती।

5. चूंकि, जैसा कि पहले देखा गया था, हत्या के मामले में जमानत देने या वापस लेने से संबंधित अन्य प्रासंगिक कारकों पर बहुत कम चर्चा होती है, हम इस आक्षेपित आदेश को अपास्त करना उचित समझते हैं।

6. इस न्यायालय के आदेश के अनुसार, आरोपी गणेश @रणजीत शंकर यादव हिरासत में है। उत्तरदाताओं/अभियुक्तों अजय दिलीप लालगे और विजय राजेंद्र गंभीर को हिरासत में ले लिया जाएगा, अगर वे आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं। जमानत की अर्जी उच्च न्यायालय की फाइल में बहाल कर दी जाती है। उच्च न्यायालय पक्षकारों को अतिरिक्त हलफनामा दायर करने की स्वतंत्रता देने के बाद मामले को नए सिरे से सुनेगा।

7. पार्टियों को 16.02.2018 को उच्च न्यायालय में पेश होने के लिए निर्देशित किया जाता है। मामले की परिस्थितियों के संबंध में, जमानत आवेदन किसी भी मामले में जल्द से जल्द तय किए जा सकते हैं, उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के उपस्थित होने पर 6 सप्ताह से अधिक समय पश्चात नहीं।

8. हम ध्यान दें कि हमारी टिप्पणियों को मामले के गुणदोष पर टिप्पणी के रूप में नहीं माना जाएगा।

9. अपीलों को उपर्युक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ निपटाया जाता है।

अपील का निपटारा किया।

देविका गुजराल

Jai Shankar Mishra